झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक रिट याचिका संख्या 821 / 2023

1. नीतीश कुमार भगत, पिता;- देवेंद्र प्रसाद भगत, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी तेलियाहाट, वार्ड नंबर 16, सरबेला, डाकघर और थाना - सरबेला, जिला- सहरसा, बिहार
2. प्रभाष कुमार @ प्रभाष कुमार भगत, पिता;- बिंदेश्वरी भगत, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी तेलियाहाट, वार्ड नंबर 16, सरबेला, डाकघर और थाना- सरबेला, जिला- सहरसा, बिहार ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. उपायुक्त, गोड्डा, डाकघर और थाना- गोड्डा, जिला- गोड्डा, झारखंड।
3. जिला खान अधिकारी, गोड्डा, डाकघर और थाना - गोड्डा, जिला गोड्डा, झारखंड
4. प्रभारी अधिकारी, पोरैयाहाट पुलिस स्टेशन, डाकघर और थाना - पोरैयाहाट, जिला-गोड्डा। ..... उत्तरदाता

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री निखिल रंजन, अधिवक्ता
सुश्री सौम्या पांडे, अधिवक्ता ।
राज्य के लिए : श्री मनोज कुमार, जीएआईआईआई

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें जब्ती मामला संख्या 28/2023-24 में पारित दिनांक 29.08.2023 (अनुलग्नक-2) के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में उचित रिट/रिट, आदेश/आदेश, निर्देश/निर्देश या रिट जारी करने की प्रार्थना की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं के जब्त वाहनों में *अन्य बातों के साथ-साथ* पंजीकरण संख्या बीआर-02जीए-7208 और बीआर-19जीए-4529 को डिप्टी कमिश्नर, गोड्डा द्वारा पोरैयाहाट थाना कांड संख्या 59/2023 के संबंध में जब्त करने का आदेश दिया गया है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, 34, झारखंड गौण खनिज रियायत नियम, 2004 की धारा 4/54, खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज किया गया है साथ-साथ नियम 9/13 झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के लिए भी।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि 19.03.2023 और 20.03.2023 को, पोरैयाहाट थाना कांड संख्या 59/2023 के मुखबिर ने जिला खनन अधिकारी, गोड्डा होने के नाते, खनिजों से लदे ट्रकों का सत्यापन किया और *अन्य बातों के साथ-साथ* पाया कि दोनों वाहनों के चालक याचिकाकर्ताओं के वाहन हैं, जिनके पंजीकरण संख्या बीआर-02 जीए-7208 और बीआर-19 जीए-4529, अपने वाहनों को छोड़कर भाग गए। सत्यापन करने पर, वाहनों को पत्थर के चिप्स से भरा हुआ पाया गया और चूंकि चालक वाहनों को छोड़कर भाग गए, इसलिए, मुखबिर द्वारा यह संदेह किया गया कि वाहनों में लोड किए गए खनिजों को अवैध रूप से उत्खनन या खरीदा गया था, इसलिए उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने उक्त वाहनों को जब्त करने के लिए उपायुक्त, गोड्डा को एक अनुरोध प्रस्तुत किया क्योंकि वाहन बिना किसी चालान के अवैध तरीके से पत्थर चिप्स का परिवहन कर

रहे थे जो सरकारी संपत्ति और राजस्व की चोरी के बराबर है। उपायुक्त ने अपने आदेश दिनांक 29.08.2023 द्वारा, जब्ती मामला संख्या 28/2023-24 में, *अन्य बातों के साथ-साथ* प्रश्नगत वाहन की उक्त जब्ती आदेश पारित किया

4. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (4 ए) की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करना, जो निम्नानुसार है:

> *"21. (4-क) उपधारा (4) के अधीन जब्त किया गया कोई खनिज, औजार, उपस्कर, वाहन या कोई अन्य वस्तु, उपधारा (1) के अधीन अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा जब्त की जा सकती है और ऐसे न्यायालय के निदेशों के अनुसार उसका निपटान किया जाएगा। "(महत्त्व सन्निविष्ट)*

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि कानून तय किया गया है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की उप-धारा 21 (4) के तहत जब्त किए गए किसी भी खनिज, उपकरण, उपकरण, वाहन या किसी अन्य चीज को उप-धारा 21 (1) के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम अदालत के आदेश द्वारा जब्त किया जा सकता है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया कि उपायुक्त के पास संज्ञान लेने के लिए सक्षम अदालत के किसी भी आदेश के अभाव में उक्त ट्रकों के संबंध में कोई जब्ती आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने डब्ल्यूपी (सीआर) 941/2023, मे दिनांक 28.11.2023 के इस अदालत के फैसले के साथ-साथ **अंजू देवी मिश्रा @ अंजू देवी बनाम झारखंड राज्य और अन्य** के मामले में डब्ल्यूपी (सीआर) संख्या 502/2023 में एक समन्वय पीठ के फैसले दिनांक 13.09.2023 पर भरोसा करते हैं।

5. विद्वान जीए III, प्रस्तुत करता है कि झारखंड खनिज (अवैध खनन परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के नियम 11 (v) में यह परिकल्पना की गई है कि जब्त किए गए किसी भी खनिज, उपकरण, उपकरण, वाहन या कुछ भी संबंधित जिले के उपायुक्त के न्यायालय के आदेश से जब्त किए जाने के लिए

उत्तरदायी होगा और इस तरह के न्यायालय के निर्देश और दिनांक 29.08.2023 के आदेश के अनुसार निपटाया जाएगा (अनुलग्नक 2), उपायुक्त, गोड्डा द्वारा पारित जब्ती मामला संख्या 28/2023-24 झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण रोकथाम) नियम, 2017 के नियम 11 (v) के तहत उस पर निहित शक्ति के अनुसार है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह रिट याचिका, बिना किसी योग्यता के खारिज कर दी जाए।

6. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (4) के सादे पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि *अन्य बातों के साथ-साथ* खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (4) के तहत जब्त किए गए वाहन, के मामले में, केवल संज्ञान लेने के लिए सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा जब्त किया जा सकता है और अधिनियम में यह परिकल्पना की गई है कि *अन्य बातों के साथ-साथ* जब्त वाहनों का निपटान ऐसे न्यायालय के निर्देश के अनुसार किया जाएगा और निश्चित रूप से, यदि मूल क़ानून की धारा 23 (सी) यानी खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियम, 1957 धारा 21 (4 ए) के साथ मूल क़ानून के प्रावधानों के साथ संघर्ष में है, यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि मूल प्रावधान क़ानून प्रबल होगी। इसलिए, झारखंड खनिज (अवैध खनन परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के नियम 11 (v) के प्रावधान के बावजूद, चूंकि धारा 21 (4A) में मूल क़ानून में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जब्त वाहन उप-धारा (1) के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम अदालत के आदेश द्वारा जब्त किया जा सकता है और ऐसे न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निपटाया जाएगा, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (4) के तहत जब्त किए गए किसी भी वाहन को केवल खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम अदालत के आदेश से जब्त किया जा सकता है। निर्विवाद तथ्य

यह है कि उपायुक्त, गोड्डा, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (1) के तहत परिकल्पित अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है और न ही खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम न्यायालय का कोई आदेश है। जब्त किए गए वाहन की जब्ती या निपटान के लिए 1957 का मामला दर्ज किया गया है।

7. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं, जैसा कि निर्विवाद रूप से, उपायुक्त, गोड्डा ने जब्ती मामला संख्या 28/2023-24 में पारित अपने आदेश दिनांक 29.08.2023 (अनुलग्नक-2) के तहत खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (4ए) के संदर्भ में संज्ञान लेने के लिए सक्षम अदालत के आदेश के बिना वाहन को जब्त कर लिया है। इसलिए, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि डिप्टी उपायुक्त, गोड्डा ने जब्ती मामला संख्या 28/2023-24 में दिनांक 29.08.2023 (अनुलग्नक-2) को उक्त जब्ती आदेश पारित करके घोर अवैधता की है और यह कानून में टिकाऊ नहीं है। इसलिए, उक्त आदेश को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इस प्रकार यह एक *उत्प्रेषण रिट* मामला है, जहां डिप्टी उपायुक्त द्वारा पारित जब्ती मामला संख्या 28/2023-24 में पारित दिनांक 29.08.2023 (अनुलग्नक-2) के आदेश को रद्द करने के लिए पोरैयाहाट थाना कांड संख्या 59/2023 की अनुमति दी गई है।

8. इस रिट याचिका का निपटारा तदनुसार किया जाता है

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाo.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांकित - 14 दिसम्बर, 2023
स्मिता/ए. एफ. आर.

यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।